सत्यमेव जयते

| राजस्थान राजपत्र विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary |
|---|---|
| साधिकार प्रकाशित | Published by Authority |
| आश्विन 14, बुधवार, शाके 1943-अक्टूबर 06, 2021<br>*Asvina 14, Wednesday, Saka 1943- October 06, 2021* | |

भाग-4(क)

राजस्थान विधान मण्डल के अधिनियम।

**विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग**

**(ग्रुप-2)**

अधिसूचना

**जयपुर, अक्टूबर 6, 2021**

**संख्या प.2(27)विधि/2/2019.-** राजस्थान राज्य विधान-मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 5 अक्टूबर, 2021 को प्राप्त हुई, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:-

**स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर (संशोधन) अधिनियम, 2020**

**(2021 का अधिनियम संख्यांक 15)**

(राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 5 अक्टूबर, 2021 को प्राप्त हुई)

स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर अधिनियम, 1987 को और संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-** (1) इस अधिनियम का नाम स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर (संशोधन) अधिनियम, 2020 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

**2. 1987 के राजस्थान अधिनियम सं. 39 की धारा 19 का संशोधन.-** स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर अधिनियम, 1987 (1987 का अधिनियम सं. 39), जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है, की विद्यमान धारा 19 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"**19. कुलपति.-** (1) कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा।

(2) कोई भी व्यक्ति, कुलपति के रूप में नियुक्त किये जाने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह किसी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में कृषि शिक्षा में, आचार्य के रूप में न्यूनतम दस वर्ष का

अनुभव रखने वाला या किसी प्रतिष्ठित शोध और/या शैक्षणिक प्रशासनिक संगठन में किसी समकक्ष पद पर दस वर्ष का अनुभव रखने वाला और सक्षमता, सत्यनिष्ठा, नैतिक आचार और संस्थानिक प्रतिबद्धता के उच्चतम स्तर वाला कोई प्रख्यात शिक्षाविद् न हो।

(3) कुलपति, निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनी खोजबीन समिति द्वारा सिफारिश किये गये पैनल में सम्मिलित व्यक्तियों में से, राज्य सरकार के परामर्श से, कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किया जायेगा-

(क) बोर्ड द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति;

(ख) महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् या उसका नामनिर्देशिती;

(ग) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति; और

(घ) सरकार द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति,

और कुलाधिपति, इनमें से किसी एक व्यक्ति को समिति का अध्यक्ष नियुक्त करेगा।

(4) विश्वविद्यालय और उसके महाविद्यालयों से असंबद्ध उच्चतर शिक्षा क्षेत्र का कोई विख्यात व्यक्ति ही खोजबीन समिति के सदस्य के रूप में नामनिर्देशित किये जाने के लिए पात्र होगा।

(5) खोजबीन समिति, कुलपति के रूप में नियुक्त किये जाने के लिए कम से कम तीन व्यक्तियों का और अधिकतम पांच व्यक्तियों का एक पैनल तैयार करेगी और उसकी सिफारिश करेगी।

(6) कुलपति के चयन के प्रयोजन के लिए खोजबीन समिति, लोक सूचना के माध्यम से पात्र व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित करेगी और कुलपति के रूप में नियुक्त किये जाने वाले व्यक्तियों के नामों पर विचार करते समय, खोजबीन समिति, शैक्षणिक उत्कृष्टता, देश में उच्चतर शिक्षा प्रणाली में प्रदर्शन और शैक्षणिक तथा प्रशासनिक शासन में पर्याप्त अनुभव को उचित महत्व देगी और अपने निष्कर्षों को लेखबद्ध करेगी और उन्हें कुलाधिपति को प्रस्तुत किये जाने वाले पैनल के साथ संलग्न करेगी।

(7) कुलपति की पदावधि उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, तीन वर्ष या उसके सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जो भी पहले हो, होगी:

परन्तु वही व्यक्ति दूसरी अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा।

(8) कुलपति, ऐसा वेतन और भत्ते प्राप्त करेगा जो राज्य सरकार द्वारा अवधारित किये जायें। इसके अतिरिक्त, वह विश्वविद्यालय द्वारा संधारित नि:शुल्क सुसज्जित निवास और ऐसी अन्य परिलब्धियों का हकदार होगा जो विहित की जायें।

(9) जब कुलपति के पद की कोई स्थायी रिक्ति उसकी मृत्यु, त्यागपत्र, हटाये जाने या उसकी पदावधि समाप्त हो जाने के कारण हो जाये तो वह रिक्ति कुलाधिपति द्वारा, उप-धारा (3) के अनुसार भरी

जायेगी और जब तक वह इस प्रकार नहीं भरी जाती है तब तक उसके द्वारा, उप-धारा (10) के अधीन और अनुसार कामचलाऊ व्यवस्था की जायेगी।

(10) जब कुलपति के पद की कोई अस्थायी रिक्ति छुट्टी, निलंबन के कारण या अन्यथा हो जाये, या जब उप-धारा (9) के अधीन कोई कामचलाऊ व्यवस्था आवश्यक हो, तब कुल-सचिव मामले की रिपोर्ट तुरंत कुलाधिपति को करेगा, जो राज्य सरकार की सलाह से, कुलपति के पद के कृत्यों के, राज्य-विश्वविद्यालय के किसी भी अन्य कुलपति द्वारा, निर्वहन के लिए व्यवस्था करेगा।

(11) कुलपति किसी भी समय, अपना त्यागपत्र ऐसी तारीख से, जिसको वह पदभार से मुक्त होने का इच्छुक हो, कम से कम साठ दिवस पूर्व कुलाधिपति को प्रस्तुत करके, पद का त्याग कर सकेगा।

(12) ऐसा त्यागपत्र ऐसी तारीख से प्रभावी होगा जो कुलाधिपति द्वारा अवधारित की जाये और जिसकी सूचना कुलपति को दी जाये।

(13) जहां, कुलपति के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति, ऐसी नियुक्ति के पूर्व किसी अन्य महाविद्यालय, संस्था या विश्वविद्यालय में नियोजित था, वहां वह उस भविष्य निधि में अंशदान करना जारी रख सकेगा जिसका वह ऐसे नियोजन में सदस्य था और विश्वविद्यालय उस भविष्य निधि में ऐसे व्यक्ति के लेखे में अंशदान करेगा।

(14) जहां कुलपति, उसके पूर्ववर्ती नियोजन में, किसी बीमा या पेंशन स्कीम का सदस्य रहा हो, वहां विश्वविद्यालय, ऐसी स्कीम में आवश्यक अंशदान करेगा।

(15) कुलपति, ऐसी दरों पर जैसीकि बोर्ड द्वारा नियत की जायें, यात्रा और दैनिक भत्ते का हकदार होगा।

(16) कुलपति, निम्नानुसार छुट्टी का हकदार होगा:-

(क) प्रत्येक ग्यारह दिवस की वास्तविक सेवा के लिए एक दिवस की दर से पूर्णवैतनिक छु ट्टी; और

(ख) सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए बीस दिवस की दर से अर्धवैतनिक छुट्टी:

परन्तु चिकित्सा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर अर्धवैतनिक छुट्टी को पूर्ण वैतनिक छुट्टी में रूपान्तरित किया जा सकेगा।"।

**3. 1987 के राजस्थान अधिनियम सं. 39 में नयी धाराओं 19-क और 19-ख का अंत:स्थापन.-** मूल अधिनियम की इस प्रकार संशोधित धारा 19 के पश्चात् और विद्यमान धारा 20 से पूर्व, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"**19-क. कुलपति का हटाया जाना.-** (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार की रिपोर्ट पर या अन्यथा यदि किसी भी समय, कुलाधिपति की राय में, कुलपति इस अधिनियम के

उपबंधों का कार्यान्वयन करने में जानबूझकर लोप या इंकार करता है या उसमें निहित शक्तियों का दुरुपयोग करता है, या यदि कुलाधिपति को अन्यथा यह प्रतीत होता है कि कुलपति का पद पर बने रहना विश्वविद्यालय के हित के लिए हानिकर है तो कुलाधिपति, राज्य सरकार के परामर्श से, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जो वह उचित समझे, आदेश द्वारा, कुलपति को हटा सकेगा:

परन्तु कुलाधिपति, राज्य सरकार के परामर्श से, ऐसा आदेश करने से पूर्व जांच लम्बित रहने के दौरान, कुलपति को किसी भी समय निलंबित कर सकेगा:

परन्तु यह और कि कुलाधिपति द्वारा कोई भी आदेश तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि कुलपति को उसके विरुद्ध की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध हेतुक दर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान नहीं कर दिया गया हो।

(2) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट किसी भी जांच के लंबित रहने के दौरान या उसको ध्यान में रखते हुए कुलाधिपति, राज्य सरकार के परामर्श से, यह आदेश दे सकेगा कि अगले आदेश तक-

(क) ऐसा कुलपति, कुलपति के पद के कृत्यों का पालन करने से विरत रहेगा, किन्तु वह उन परिलब्धियों को प्राप्त करता रहेगा जिनका वह अन्यथा हकदार था;

(ख) कुलपति के पद के कृत्यों का पालन आदेश में विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा किया जायेगा।

**19-ख. कुलपति की शक्तियां और कर्तव्य.**- (1) कुलपति, विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक शैक्षणिक अधिकारी और बोर्ड, विद्या परिषद् और अन्य प्राधिकारियों का पदेन अध्यक्ष होगा और कुलाधिपति की अनुपस्थिति में विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेगा और ऐसे व्यक्तियों को उपाधियां प्रदान करेगा जो उन्हें प्राप्त करने के हकदार हों।

(2) कुलपति विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर साधारण नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय में सम्यक् अनुशासन बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होगा।

(3) कुलपति बोर्ड, विद्या परिषद्, अनुसंधान परिषद् और विस्तार शिक्षा परिषद् की बैठकें बुलायेगा।

(4) कुलपति इस अधिनियम और परिनियमों और विनियमों के निष्ठापूर्वक अनुपालन को सुनिश्चित करेगा।

(5) कुलपति बोर्ड के समक्ष वार्षिक वित्तीय प्राक्कलन और वार्षिक लेखे प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(6) कुलपति को, जहां तुरन्त कार्यवाही अपेक्षित हो, ऐसी किसी भी शक्ति का प्रयोग या ऐसे किसी भी कृत्य का पालन करने के लिये आदेश करने की शक्ति होगी जिसका प्रयोग या पालन साधारणतया इस अधिनियम या परिनियमों के अधीन किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा किया गया होता और ऐसे मामले में तत्पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, अपनी कार्रवाई के बारे में ऐसे प्राधिकारी को रिपोर्ट करेगा और यदि ऐसा प्राधिकारी

कुलपति की कार्रवाई से असहमत हो, तो मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

(7) जहां उप-धारा (6) के अधीन कुलपति द्वारा की गयी कोई भी कार्रवाई विश्वविद्यालय की सेवा में के किसी भी व्यक्ति को उसके अहितकर रूप में प्रभावित करती हो, वहां ऐसा व्यक्ति, उस तारीख से तीस दिन के भीतर-भीतर बोर्ड को अपील कर सकेगा जिसको ऐसे व्यक्ति को की गयी कार्रवाई का नोटिस तामील किया गया है।

(8) यदि कुलपति का यह समाधान हो जाये कि बोर्ड का विनिश्चय विश्वविद्यालय के सर्वोत्तम हित में नहीं है तो वह उसे कुलाधिपति को निर्देशित करेगा जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

(9) पूर्ववर्ती उप-धाराओं के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, कुलपति, विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों और पदच्युति के संबंध में बोर्ड के विनिश्चयों को कार्यान्वित करेगा।

(10) कुलपति विश्वविद्यालय के कार्यकलापों के समुचित प्रशासन के लिए और अध्यापन, अनुसंधान और विस्तार शिक्षा के पूर्ण समन्वय और एकीकरण के लिए उत्तरदायी होगा।

(11) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा, जो इस अधिनियम और परिनियमों के उपबंधों के अधीन उसे प्रदत्त या उस पर अधिरोपित किये जायें।"।

विनोद कुमार भारवानी,
**प्रमुख शासन सचिव।**

## LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
## (GROUP-II)
NOTIFICATION
**Jaipur, October 6, 2021**

**No. F. 2(27)Vidhi/2/2019.-** In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of Swami Keshwanand Rajasthan Krishi Vishwavidyalaya, Bikaner (Sanshodhan) Adhiniyam, 2020 (2021 Ka Adhiniyam Sankhyank 15):-

### (Authorised English Translation)
### THE SWAMI KESHWANAND RAJASTHAN AGRICULTURE UNIVERSITY, BIKANER (AMENDMENT) ACT, 2020
### (Act No. 15 of 2021)

(Received the assent of the Governor on the 5th day of October, 2021)

*An*
*Act*

*further to amend the Swami Keshwanand Rajasthan Agriculture University, Bikaner Act, 1987.*

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-second Year of the Republic of India, as follows:-

**1. Short title and commencement.-** (1) This Act may be called the Swami Keshwanand Rajasthan Agriculture University, Bikaner (Amendment) Act, 2020.

(2) It shall come into force at once.

**2. Amendment of section 19, Rajasthan Act No. 39 of 1987.-** For the existing section 19 of the Swami Keshwanand Rajasthan Agriculture University, Bikaner Act, 1987(Act No. 39 of 1987), hereinafter referred to as the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

"**19. The Vice-Chancellor.-** (1) The Vice-Chancellor shall be a whole-time paid officer of the University.

(2) No person shall be eligible to be appointed as Vice-Chancellor unless he is, a distinguished academician in agriculture education having a minimum of ten years experience as Professor in a University or college or ten years experience in an equivalent position in a reputed research and/ or academic administrative organization and, of a highest level of competence, integrity, morals and institutional commitment.

(3) The Vice-Chancellor shall be appointed by the Chancellor in consultation with the State Government from amongst the persons included in the panel recommended by the Search Committee consisting of-

(a) one person nominated by the Board;

(b) the Director General, Indian Council of Agricultural Research or his nominee;

(c) one person nominated by the Chancellor; and

(d) one person nominated by the Government,

and the Chancellor shall appoint one of these persons to be the Chairman of Committee.

(4) An eminent person in the sphere of higher education not connected with the University and its colleges shall only be eligible to be nominated as the member of the Search Committee.

(5) The Search Committee shall prepare and recommend a panel of not less than three persons and not more than five persons to be appointed as Vice-Chancellor.

(6) For the purpose of selection of the Vice-Chancellor, the Search Committee shall invite applications from eligible persons through a public notice and while considering the names of persons to be appointed as Vice-Chancellor, the Search Committee shall give proper weightage to academic excellence, exposure to the higher

education system in the country and adequate experience in academic and administrative governance and record its findings in writing and enclose the same with the panel to be submitted to the Chancellor.

(7) The term of the office of the Vice-Chancellor shall be three years from the date on which he enters upon his office or until he attains the age of seventy years, whichever is earlier:

Provided that the same person shall be eligible for reappointment for a second term.

(8) The Vice-Chancellor shall receive such pay and allowances as may be determined by the State Government. In addition to it, he shall be entitled to free furnished residence maintained by the University and such other perquisites as may be prescribed.

(9) When a permanent vacancy in the office of the Vice-Chancellor occurs by reason of his death, resignation, removal or the expiry of his term of office, it shall be filled by the Chancellor in accordance with sub-section (3), and for so long as it is not so filled, stop-gap arrangement shall be made by him under and in accordance with sub-section (10).

(10) When a temporary vacancy in the office of the Vice-Chancellor occurs by reason of leave, suspension or otherwise or when a stop-gap arrangement is necessary under sub-section (9), the Registrar shall forthwith report the matter to the Chancellor who shall make, on the advice of the State Government, arrangement for the carrying on of the function of the office of the Vice-Chancellor by any other Vice-Chancellor of a State University.

(11) The Vice-Chancellor may at any time relinquish office by submitting, not less than sixty days in advance of the date on which he wishes to be relieved, his resignation to the Chancellor.

(12) Such resignation shall take effect from the date determined by the Chancellor and conveyed to the Vice-Chancellor.

(13) Where a person appointed as the Vice-Chancellor was in employment before such appointment in any other college, institution or University, he may continue to contribute to the provident fund of which he was a member in such employment and the University shall contribute to the account of such person in that provident fund.

(14) Where the Vice-Chancellor had been in his previous employment, a member of any insurance or pension scheme, the University shall make a necessary contribution to such scheme.

(15) The Vice-Chancellor shall be entitled to travelling and daily allowance at such rates as may be fixed by the Board.

(16) The Vice-Chancellor shall be entitled to leave as under:-

(a) leave on full pay at the rate of one day for every eleven days of active service; and

(b) leave on half pay at the rate of twenty days for each completed year of service:

Provided that leave on half pay may be commuted as leave on full pay on production of medical certificate.".

**3. Insertion of new sections 19-A and 19-B, Rajasthan Act No. 39 of 1987.-** After section 19, so amended and before the existing section 20 of the principal Act, the following shall be inserted, namely:-

**"19-A. Removal of Vice-Chancellor.-** (1) Notwithstanding anything contained in this Act, if at any time, on the report of the State Government or otherwise, in the opinion of the Chancellor, the Vice-Chancellor wilfully omits or refuses to carry out the provisions of this Act or abuses the powers vested in him or if otherwise appears to the Chancellor that the continuance of the Vice-Chancellor in office is detrimental to the interest of the University, the Chancellor may, in consultation with the State Government, after making such inquiry as he deems proper, by order, remove the Vice-Chancellor:

Provided that the Chancellor may, in consultation with the State Government, at any time before making such order, place the Vice-Chancellor under suspension, pending enquiry:

Provided further that no order shall be made by the Chancellor unless the Vice-Chancellor has been given a reasonable opportunity of showing cause against the action proposed to be taken against him.

(2) During the pendency or in contemplation, of any inquiry referred to in sub-section (1) the Chancellor may, in consultation with the State Government, order that till further order-

(a) such Vice-Chancellor shall refrain from performing the functions of the office of Vice-Chancellor, but shall continue to get the emoluments to which he was otherwise entitled;

(b) the functions of the office of the Vice-Chancellor shall be performed by the person specified in the order.

**19-B. Powers and duties of the Vice-Chancellor.-** (1) The Vice-Chancellor shall be the principal executive academic officer of the University and *ex-officio* Chairman of the Board, Academic Council and other authorities and shall in the absence of the Chancellor preside at the convocation of the University and confer degrees on persons entitled to receive them.

(2) The Vice-Chancellor shall exercise general control over the affairs of the University and shall be responsible for due maintenance of discipline in the University.

(3) The Vice-Chancellor shall convene meetings of the Board, Academic Council, Research Council and Extension Education Council.

(4) The Vice-Chancellor shall ensure faithful observance of the provisions of this Act and Statutes and Regulations.

(5) The Vice-Chancellor shall be responsible for the presentation of the annual financial estimates and the annual accounts to the Board.

(6) The Vice-Chancellor shall, where immediate action is called for, have power to make an order so as to exercise any power or perform any function which would ordinarily have been exercised or performed by any other authority under this Act or the Statutes and shall in such case as soon as may be thereafter report his action to such authority and if such authority disagrees with the action of the Vice-Chancellor, the matter shall be referred to the Chancellor whose decision thereon shall be final.

(7) Where any action taken by the Vice-Chancellor under sub-section(6) affects any person in the service of the University to his disadvantage such person may prefer an appeal to the Board within thirty days from the date on which such person has been served with a notice of the action taken.

(8) If the Vice-Chancellor is satisfied that a decision of the Board is not in the best interest of the University, he shall refer it to the Chancellor whose decision thereon shall be final.

(9) Subject to the provisions of the preceding sub-section, the Vice-Chancellor shall give effect to the decisions of the Board regarding the appointments, promotions and dismissal of officers, teachers and other employees of the University.

(10) The Vice-Chancellor shall be responsible for the proper administration of the affairs of the University and for a close co-ordination and integration of teaching, research and extension education.

(11) The Vice Chancellor shall exercise such other powers and perform such other duties as are conferred or imposed on him under the provisions of this Act and Statutes.".

विनोद कुमार भारवानी,
**Principal Secretary to the Government.**

---

**राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।**